ब्रिज मोहन लाल

बनाम

भारत संघ एवं अन्य.

6 मई, 2002

[बी.एन. किरपाल सीजे, के.जी. बालाकृष्णन और अरिजीत पसायत जे. जे.]

फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की योजनाः

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का रोजगार के लिए संवैधानिक प्रतिबंधों की कमी के आधार पर चुनौती- माना, संवैधानिक रूप से योजना में कुछ भी अनुचित नहीं है- अनुच्छेद 233, 234, 235 और 309 -संविधान का अध्याय VI-भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालना में इसके क्रियान्वयन में हाईकोर्ट को अहम भूमिका निभानी होगी।

चुनौती इस आधार पर कि प्रतिकूल सेवा रिकॉर्ड वाले सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है-माना, न्यायाधीशों के पास अन्याय को समाप्त करने के लिए ताकत और आवश्यक सुविधाओं की आवश्यकता है-इसलिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों में नियुक्ति से पहले प्रदान की गई सेवा का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

प्रभावी दिशा-निर्देशों की अनुपलब्धता के आधार पर चुनौती-न्यायाधीशों की नियुक्ति और राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा अनुपालन के लिए त्वरित अदालतों के कामकाज के लिए जारी किए गए विस्तृत दिशा- निर्देश समय-समय पर प्रस्तुत किए जाने वाले स्थिति विवरण।

शब्द और वाक्यांशः

"नियंत्रण";-संविधान के अनुच्छेद 235 के संदर्भ में

इन सभी मामलों में सवाल फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना और कार्यप्रणाली से संबंधित है। वित्त आयोग ने 5 वर्षों के भीतर उपयोग करने के लिए धन आवंटित किया और राज्य सरकारों को लंबित मामलों के निपटारे के लिए ऐसे न्यायालयों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने थे। वित्त आयोग ने यह भी सुझाव दिया था कि राज्य इन न्यायालयों के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को फिर से नियुक्त करने पर विचार कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक अदालतों की योजना को उच्च न्यायालयों में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के रोजगार के लिए कोई संवैधानिक मंजूरी नहीं थी। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए बुनियादी सुविधाओं और प्रभावी दिशानिर्देशों की कमी, योजना का कार्यान्वयन और एक दलील भी दी गई कि सेवानिवृत्त होने के बजाय इन

न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए बार के पात्र सदस्यों पर विचार किया जाना चाहिए।

भारत संघ के लिए यह तर्क दिया गया था कि सेवानिवृत्त सत्र/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों या अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कोई अनिवार्य नहीं था और न्यायिक अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति की आवश्यकता पर भी विचार किया जा सकता है; और इस प्रकार सृजित रिक्तियों को निचले न्यायालयों के सुचारू संचालन के लिए एक विशेष अभियान द्वारा भरा जा सकता है। अन्य पक्षों की ओर से यह तर्क दिया गया कि उन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की संभावना हो सकती है, विशेष रूप से जिनके प्रतिकूल सेवा रिकॉर्ड हैं।

न्यायालय द्वारा याचिकाओं का निपटारा करते हुए, अभिनिर्धारित किया गया

1.1. संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाली पक्षों द्वारा दायर याचिका फास्ट ट्रैक अदालत योजना स्पष्ट रूप से बिना किसी सार के है। अनुच्छेद 233 (2) द्वारा शासित मामलों में, नियम के रूप में, उच्च न्यायालय की सिफारिश को स्वीकार किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय की राय से प्रस्थान एक दुर्लभ घटना होनी चाहिए। संविधान एक निकाय के रूप में उच्च न्यायालय के सामूहिक ज्ञान पर निर्भर करता है न कि किसी एक व्यक्ति के। यद्यपि वित्त आयोग द्वारा बताए गए विचारों के आधार पर

केंद्र सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक अदालत योजना की परिकल्पना की गई है, फिर भी फास्ट ट्रैक अदालतों में नियुक्तियां उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित तौर-तरीकों को ध्यान में रखते हुए की जानी हैं। इसलिए, केवल इसलिए कि यह सुझाव केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी संवैधानिक जनादेश का कोई उल्लंघन हुआ है। [820 – बी-डी-ई]

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ, [1993] 3 एस. सी. सी. 441.

1.2. न्यायिक अधिकारियों के अलावा अन्य न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति की पुष्टि करने की शक्ति जो अनुच्छेद 234 द्वारा विशेष रूप से उच्च न्यायालय में निहित है वह अनुच्छेद 234 के तहत नियुक्ति की शक्ति में शामिल नहीं है । कोई भी नियम जो यह प्रावधान करता है कि अधिकार उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल का है, वह अमान्य होगा। जबकि जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति अनुच्छेद 235 के संदर्भ में उच्च न्यायालय के परामर्श से कार्य करने वाले राज्यपाल के हाथों में होगी, जिला न्यायाधीशों के अलावा राज्य न्यायिक सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति और पदोन्नति आदि विशेष रूप से उच्च न्यायालय में होती है। अनुच्छेद 235 में निर्दिष्ट 'नियंत्रण' शब्द का उपयोग अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज के सामान्य अधीक्षण को शामिल करने का व्यापक अर्थ है।

दूसरे शब्दों में, इस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण पूर्ण नियंत्रण है, जो केवल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति के मामले में राज्यपाल की शक्ति के अधीन है। इस अनुच्छेद के तहत प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए है। इस प्रकार, योजना में संवैधानिक रूप से कुछ भी अनुचित नहीं है। यह उच्च न्यायालय है जिसे योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है उपरोक्त उद्देश्यों का कार्यान्वयन और उपलब्धि, निश्चित रूप से, संविधान के अध्याय VI के प्रासंगिक प्रावधानों में सन्निहित संवैधानिक आवश्यकताओं की अनुपालन मे किया जाना है। [820 - एफ-जी-एच; 821-ए-बी]

असम और अन्न राज्य। वी. एस. एन. सेन और अन्न., [1971 | 2 एससीसी 889, निर्भर पर।

2. ऐसे न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करना वांछनीय नहीं है जिनका आचरण अच्छा नहीं था जहां तक उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का सवाल है। एक न्यायाधीश के वांछित गुणों को सरलता से कहा जा सकता है कि; 'यदि वह एक अच्छा व्यक्ति है और उसे ऐसा माना जाए';। इस तरह के प्रमाण आसानी से प्राप्त नहीं किए जाते हैं। न्यायाधीश के पास; 'अन्याय को समाप्त करने की ताकत'; और; 'इतिहासकार और दार्शनिक और पैगंबर से मांगी जाने वाली क्षमताओं ; की आवश्यकता होती है। [818 - जी; 819-बी]

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ और अन्य।, [1992] 1 एससीसी 119 ; अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।, [1993] 4 एस. सी. सी. 288 और अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। , जे. टी. [2002] 3 एस. सी. 503 पर भरोसा किया गया।

पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य, जे. टी. (2002) 4 एस. सी. 92, निर्दिष्ट किया गया।

डेविड पैनिक द्वारा 'न्यायाधीश' निर्दिष्ट किया गया।

3. न्यायाधीशों की नियुक्ति और अदालतों का कामकाज के लिए और राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन के लिए और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित निर्देश/दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। [821 – सी]

A. फास्ट ट्रैक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु वरीयता क्रम:

(i) योग्य न्यायिक अधिकारियों में से तदर्थ पदोन्नति द्वारा। उच्च न्यायालय उच्चतर न्यायिक सेवा के ऐसे पदों पर पदोन्नति की मौजूदा प्रक्रिया का पालन करेगा। [821– डी]

(ii) अच्छा सेवा रिकॉर्ड वाले और बिना किसी प्रतिकूल A.CRs में टिप्पणी के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। जिन्हें सेवानिवृत्ति की आयु के विस्तार पर दो साल का लाभ नहीं दिया गया था उन्हें नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे संविधान के अनुच्छेद 233 (2) और 309 में निर्धारित शर्तों को पूरा करें। संबंधित उच्च न्यायालय पात्रता की न्यूनतम-अधिकतम आयु के संबंध में निर्णय लेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे फास्ट ट्रैक न्यायालयों में काम करने के लिए शारीरिक रूप से योग्य हैं। [821–ई- एफ]

(iii) ऐसा कोई न्यायिक अधिकारी जिसे बर्खास्त किया गया हो या हटाया गया हो या अनिवार्य रूप से हटाया गया हो वह उक्त प्रावधान के तहत नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा । विभागीय कार्यवाही/जांच शुरू करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करने वाले न्यायिक अधिकारियों पर विचार नहीं किया जाएगा। नियुक्ति। [821-एच]

(iv) प्रत्यक्ष नियुक्ति के लिए बार के वह सदस्य, जो अधिमानतः 35-45 के आयु वर्ग में, ताकी जब फास्ट ट्रैक कोर्ट बंद हो जाए तब भी यह नियमित पोस्ट के लिए पात्र हो। प्रत्यक्ष रूप से सेवा में निरंतरता की समय-समय पर उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा की जाएगी। यदि बाद में भर्ती होती है और फास्ट ट्रैक अदालतों में उनका प्रदर्शन संतोषजनक होता है, तो उन्हें नियमित रिक्तियों में शामिल किया जा सकता है। प्रारंभिक

चयन के लिए, उच्च न्यायालय उच्च/उच्च न्यायिक सेवाओं में सीधी भर्ती के चयन के तरीके को अपनाएगा जो आम तौर पर सदस्यों के चयन के लिए अपनाए जाते हैं। [822-ए-बी-सी]

(v) फास्ट ट्रैक न्यायालयों में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता सेवानिवृत्ति के कगार पर योग्य अधिकारियों को होगी बशर्ते वे शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। [822–सी]

B. अन्य निर्देश/दिशानिर्देशः

(i) चयन के लिए कम से कम तीन न्यायाधीश की एक समिति बनायीं जाएगी जिसको संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित किया जाएगा। इस मामले में अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा लिया जाएगा। [822-डी]

(ii) फास्ट ट्रैक न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति के बाद, परिणामी रिक्तियों को तुरंत एक विशेष भर्ती अभियान द्वारा भरा जाएगा । अधिनस्त न्यायलय के निचले स्तर पर पद रिक्त नहीं रहने हेतु फास्ट ट्रैक न्यायलय में पदोन्नत करने से पहले ही न्यायिक अधिकारियो के पद भरने की प्रक्रिया के लिए कदम उठाना चाहिए। [822 - ई-एफ-जी]

(iii) सत्र मामले जो सबसे लंबे समय से लंबित हैं, और/या जिनमें विचाराधीन कैदी हैं को फास्ट ट्रैक अदालतों द्वारा निपटारे के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। सिविल मामलों के लिए भी यही दृष्टिकोण होगा। यानी पुराने मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। [822 - एच]

(iv) ऐसे प्रत्येक न्यायालय के लिए एक पेसखर/अधीक्षक, एक आशुलिपिक और एक कर्मचारी निर्धारित किया जाता है। यदि कर्मचारी अपर्याप्त हैं, तो अतिरिक्त कर्मचारी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा आवंटन मौजूदा बचत में से समायोजित किया जा सकता है के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय और राज्य सरकार नियुक्ति के लिए उचित निर्णय लेंगे। [823 - ए-बी]

(v) फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना के तहत लोक अभियोजक और सर्वर की प्रक्रिया की नियुक्ति के लिए प्रावधान नहीं बनाया गया है। पब्लिक अभियोजक को ऐसे प्रत्येक न्यायालय के लिए निर्धारित किया जा सकता है और इसके लिए खर्च 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' शीर्ष के तहत आवंटन से वहन किया जाएगा। प्रक्रिया सेवा मौजूदा तंत्र के माध्यम से की जाएगी। [823 - डी]

(vi) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति प्रत्येक राज्य में न्यायालयों और ऐसे न्यायालयों का सुचारू संचालन भारत सरकार द्वारा पहले से ही जारी दिशानिर्देशों के अनुसार करेगी। [823 - ई]

(vii) राज्य सरकारें निधियों का सावधानी से उपयोग करेंगी और ऐसे किसी भी फंड को रोकना या उसे अन्य उपयोगों में लगाना न करेंगी। राज्य सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को भेजेगी। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को तत्काल ही धनराशी जारी करेगी। [823 - एफ]

(viii) प्रत्येक उच्च न्यायालय में कम से कम एक प्रशासनिक न्यायाधीश नामित किया जाएगा। न्यायालय त्वरित अदालतों द्वारा मामलों के निपटारे की निगरानी करेगा और संबंधित राज्य सरकार के प्रशासनिक समर्थन और सहयोग से कठिनाइयों और कमियों, यदि कोई हों, का समाधान करेगा। राज्य सरकार प्रशासनिक न्यायाधीश को अपेक्षित सहयोग सुनिश्चित करेगी। [823 - जी]

(ix) सेवारत न्यायिक अधिकारियों को विज्ञापन पर उसकी नियुक्ति के आधार पर नियमित पदोन्नति का दावा करना को कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। योजना के तहत अस्थायी आधार पर फास्ट ट्रैक अदालतों में प्रदान की जाने वाली सेवा को वर्तमान संवर्ग में प्रदान की जाने वाली सेवा माना जाएगा। यदि किसी न्यायिक अधिकारी को फास्ट ट्रैक न्यायालयों में अपने कार्यकाल के दौरान वर्तमान संवर्ग में उच्च श्रेणी में पदोन्नत किया जाता है, तो फास्ट ट्रैक न्यायालयों में दी जाने वाली सेवा को ऐसे उच्च श्रेणी में सेवा माना जाएगा। [824 - ए-बी]

(x) योजना के तहत नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी नियमों के अनुसार प्राप्त/देय पेंशन की कुल राशि को घटाकर वेतन और भत्ते के हकदार होंगे जो वे अपनी सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कर रहे थे। [824 -सी]

(xi) योजना के तहत नियुक्त व्यक्ति नियमों द्वारा शासित होंगे। और ऐसे विनियम जो छुट्टी, चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति, टी. ए./डी. ए. और आचरण नियमों और ऐसे अन्य सेवा लाभों के उद्देश्य से समकक्ष स्थिति वाले राज्य की न्यायिक सेवाओं के सदस्यों पर लागू होते हैं। [824 - डी]

(xii) संबंधित उच्च न्यायालय समय-समय पर कार्यप्रणाली की समीक्षा करेंगे। फास्ट ट्रैक न्यायालयों और किसी भी कमी और/या कमी के मामले में, नामित प्रशासनिक न्यायाधीश के विचारों को ध्यान में रखते हुए तत्काल उपचारात्मक उपाय करें। [824 - ई]

(xiii) उच्च न्यायालय और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि जहाँ तक फास्ट ट्रैक न्यायालयों का संबंध है, कोई रिक्ति नहीं है और इस संबंध में निर्णय की तारीख से तीन महीने के भीतर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।[824-एफ]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः हस्तांतरित मामला (ग) सं. 22/2001

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 139-ए के तहत)

के साथ

टी. सी. (ग) 2001 का सं. 23/2001, एस. एल. पी. (सी) सं. 7870,10645 और टी. पी. (ग) 407-410 का 2001।

हरीश एन. साल्वे, सॉलिसिटर जनरल, के. एस. सैनी, चंदर शेखर अशरी टी. वी. रत्नम, के. सुब्बा राव, प्रतीक जालान, पी. परमेस्वरन, सुश्री ऐश्वर्या राव, सुश्री कामिनी जैसवाल, पी. एस. नरसिम्हा, अनंगा भट्टाचार्जी, नरेंद्र वर्मा, प्रशांत भूषण, के. राम कुमार, बी. श्रीधर, सुश्री रचना गुप्ता और सुश्री रचना श्रीवास्तव, उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायधीश अरिजीत पसायत, जे. द्वारा पारित किया गया:

ये सभी मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में वर्णित न्यायालयों की स्थापना और कामकाज से संबंधित हैं और इसलिए, इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटाए जाते हैं।ग्यारहवें वित्त आयोग (इसके बाद 'वित्त आयोग' के रूप में संदर्भित) ने विभिन्न राज्यों में 1734 न्यायालयों की स्थापना के उद्देश्य से भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') के अनुच्छेद 275 के तहत 502.90 करोड़ रुपये आवंटित किए।लंबे समय से लंबित मामलों, विशेषकर सत्र मामलों से निपटने के लिए। चूंकि वित्त आयोग द्वारा किए गए धन के आवंटन में पांच साल की अवधि के भीतर समयबद्ध

उपयोग निर्धारित किया गया था, इसलिए विभिन्न राज्य सरकारों को ऐसे न्यायालयों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि राज्य लंबित मामलों के निपटान के लिए सीमित अवधि के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यायालय इस अर्थ में तदर्थ होंगे कि वे स्थायी रूप से शामिल नहीं होंगे। किसी विशेष राज्य के भीतर न्यायालयों की संख्या। विभिन्न उच्च न्यायालयों में फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना के रूप में जानी जाने वाली योजना को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के रोजगार के लिए कोई संवैधानिक मंजूरी नहीं थी और प्रभावी दिशानिर्देश लागू नहीं थे। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि योजना को वास्तविकता बनाने के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। ऐसी कई कमियां बताई गईं। दलील दी गई कि नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों के बजाय बार के योग्य सदस्यों पर विचार किया जाना चाहिए।

दूसरी ओर भारत संघ का रुख यह था कि वित्त आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा एक नोट तैयार किया गया था। सेवानिवृत्त सत्र/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों या अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। न्यायिक अधिकारियों की तदर्थ प्रोन्नति पर भी विचार किया गया. यह बताया गया

कि तदर्थ पदोन्नति के कारण उत्पन्न परिणामी रिक्तियों को एक विशेष अभियान द्वारा भरा जा सकता है ताकि निचली अदालतों में कर्मियों की कोई कमी न हो।

विभिन्न पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील एक महत्वपूर्ण पहलू पर एकमत थे, यानी पूरे देश में विभिन्न न्यायालयों में लंबे समय तक लंबित मामलों से उत्पन्न समस्याएं। यह भी माना गया कि लंबित मामलों को कम करने का कोई भी प्रयास एक स्वागत योग्य कदम है। मामले की महत्ता को देखते हुए पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं से अपने सुझाव देने को कहा गया। विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री हरीश एन. साल्वे ने कई सुझाव दिए हैं जिन पर हम बाद में विचार करेंगे। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, विशेष रूप से प्रतिकूल सेवा रिकॉर्ड वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति के सुझाव को छोड़कर, अन्य पक्षों के विद्वान वकील कमोबेश सभी सुझावों पर सहमत हुए हैं।

न्याय के त्वरित वितरण के बारे में सभी चिंतित लोगों की चिंता को ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन और अन्य में हममें से एक (माननीय न्यायमूर्ति किरपाल) द्वारा संक्षेप में बताया गया है। बनाम भारत संघ एवं अन्य।(जेटी 2002 [3] एससी 503) निम्नलिखित शब्दों में:

> "एक स्वतंत्र और कुशल न्यायिक प्रणाली हमारे संविधान की बुनियादी संरचनाओं में से एक है। यदि पर्याप्त

संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, तो लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा, जिससे बुनियादी संरचना कमजोर हो जाएगी। यह सर्वविदित है कि देर से मिलने वाला न्याय ही न्याय है।" इनकार किया।समय-समय पर न्यायाधीशों की संख्या में अपर्याप्तता पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई है। इस संबंध में न केवल विधि आयोग और संसद की स्थायी समिति ने टिप्पणियाँ की हैं, बल्कि न्यायपालिका के प्रमुख, अर्थात् मुख्य न्यायाधीश ने भी इस संबंध में टिप्पणियाँ की हैं। भारत को इसके संबंध में टिप्पणियाँ करने के लिए एक से अधिक बार अवसर मिले हैं। इन परिस्थितियों में, हमें लगता है कि यह सुनिश्चित करना हमारा संवैधानिक दायित्व है कि मामलों का बैकलॉग कम किया जाए और मामलों के निपटान को बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। कदमों के अलावा जो न्यायिक अधिकारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए आवश्यक हो सकता है, हमारी राय है कि अब समय आ गया है कि संविधान के स्तंभों में से एक, अर्थात् न्यायिक प्रणाली की रक्षा के लिए सबसे पहले, वृद्धि का निर्देश दिया जाए। न्यायाधीशों की संख्या प्रति 10 लाख लोगों पर 10.5 या 13 के मौजूदा अनुपात से बढ़ाकर 10 लाख लोगों पर 50 न्यायाधीशों तक कर दी गई है। हम

इस तथ्य से अवगत हैं कि रातोरात इन रिक्तियों को नहीं भरा जा सकता है। अतिरिक्त न्यायाधीश रखने के लिए न केवल पद सृजित करने होंगे बल्कि अतिरिक्त न्यायालय कक्ष, भवन, स्टाफ आदि के रूप में आवश्यक बुनियादी ढाँचा भी उपलब्ध कराना होगा। हम इस तथ्य से भी अवगत हैं कि स्वीकृत पदों में से आज भी बड़ी संख्या में रिक्तियां भरी जानी बाकी हैं। इसलिए, हम सबसे पहले निर्देश देते हैं कि सभी राज्यों में सभी स्तरों पर अधीनस्थ न्यायालयों में मौजूदा रिक्तियों को, यदि संभव हो, 31 मार्च, 2003 तक भरा जाना चाहिए। न्यायाधीशों की संख्या में प्रति 10 लाख लोगों पर 50 न्यायाधीशों की वृद्धि को केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा निर्धारित और निर्देशित चरणबद्ध तरीके से पदों को भरने के साथ प्रभावी और कार्यान्वित किया जाना चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए और बढ़ाया जाना चाहिए आज से पांच साल की अवधि के भीतर भरी गई रिक्तियां और पद। शायद हर साल प्रति 10 लाख लोगों पर न्यायाधीशों की संख्या 10 बढ़ाना उन तरीकों में से एक हो सकता है जिसे अपनाया जा सकता है, जिससे आवश्यक होने पर और वृद्धि शुरू करने से पहले पांच साल के भीतर पहला चरण पूरा किया जा सकता है।"

हाल के एक फैसले में सात न्यायाधीशों की पीठ की निम्नलिखित टिप्पणियाँ पृ. रामचन्द्र राव बनाम कर्नाटक राज्य (जेटी 2002 (4) एससी 92) भी प्रासंगिक हैं:

> "मुकदमे में देरी और आपराधिक कार्यवाही के समापन में देरी के कारण की धारणा आवश्यक है ताकि यह सराहना की जा सके कि क्या परीक्षण या कार्यवाही को समाप्त करने वाली सीमा की स्थापना को उचित ठहराया जा सकता है। हमारे देश में न्याय देने में देरी का मूल कारण देश में न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात खराब है। भारत के विधि आयोग ने अपने सर्वेक्षण के आधार पर न्यायपालिका में जनशक्ति नियोजन पर अपनी 120वीं रिपोर्ट (जुलाई 1987) में खेद व्यक्त किया कि 42वें द्वारा संविधान में एक प्रमुख निर्देशक सिद्धांत के रूप में अनुच्छेद 39ए जोड़े जाने के बावजूद संशोधन (1976), राज्य को कानूनी प्रणाली के ऐसे संचालन को सुरक्षित करने के लिए बाध्य करता है क्योंकि यह न्याय को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाता है। भारत में न्याय प्रशासन के क्षेत्र में कई पुनर्गठन प्रस्ताव मूल रूप से पैच किए गए हैं

समस्या का कार्य, तदर्थ और अव्यवस्थित समाधान। भारत में न्यायाधीश-जनसंख्या-अनुपात (1971 की जनगणना के आधार पर) प्रति दस लाख जनसंख्या पर केवल 10.5 न्यायाधीश था, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा अनुपात 41.6, इंग्लैंड में 50.9, कनाडा में 75.2 और 107 था। राज्यों को एकजुट करती है। विधि आयोग ने सुझाव दिया कि भारत को प्रति दस लाख भारतीय जनसंख्या पर 107 न्यायाधीशों की आवश्यकता है; हालाँकि, आरंभ करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या को पाँच गुना तक बढ़ाने की आवश्यकता थी, यानी पाँच साल की अवधि में प्रति मिलियन जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश, लेकिन किसी भी मामले में दस साल से अधिक नहीं। उक्त व्यंग्य के स्पर्श को छिपाना मुश्किल है जब विधि आयोग ने (अपनी 120वीं रिपोर्ट में, उक्त) कहा कि भारतीय न्यायपालिका का पर्याप्त पुनर्गठन एक ही समय में हर किसी की चिंता का विषय है और इसलिए, किसी की भी चिंता नहीं है।"

हम विद्वान वकील द्वारा अपनाए गए रुख में सार पाते हैं जिन्होंने उन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की गैर-वांछनीयता पर प्रकाश डाला है जिनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के मामले में अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य [(1992) 1 एससीसी 119] और ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन और अन्य में।बनाम भारत संघ और अन्य। [(1993) 4 एससीसी 288], इस न्यायालय ने उन अधिकारियों के मामले में सेवा में दो साल के विस्तार यानी 58 साल से 60 साल तक का लाभ देने की गैर-वांछनीयता पर ध्यान दिया, जो निरंतर उपयोगिता में नहीं पाए गए थे। प्रत्येक मामले में यह पता लगाने के लिए सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया था कि क्या अधिकारी के पास ऐसा लाभ प्राप्त करने की क्षमता है या नहीं।

एक न्यायाधीश के लिए वांछित गुणों को सरलता से कहा जा सकता है: 'यदि वह अच्छा है तो उसे वैसा ही माना जाएगा।' ऐसी साख आसानी से हासिल नहीं होती न्यायाधीश के पास 'अन्याय को समाप्त करने की ताकत' और 'इतिहासकार, दार्शनिक और भविष्यवक्ता से अपेक्षित क्षमताएं' होनी चाहिए। डेविड पैनिक की पुस्तक "जजेज" के कुछ पैराग्राफ जिन्हें अक्सर उद्धृत किया जाता है, उन्हें यहां प्रस्तुत करने की आवश्यकता है:

> "न्यायाधीश के पास निर्वहन करने के लिए बोझिल जिम्मेदारियां हैं। उसके पास उन सभी वादियों के जीवन और आजीविका पर अधिकार है जो उसकी अदालत में प्रवेश करते हैं। उसके फैसले उन व्यक्तियों और समूहों के हितों को

अच्छी तरह से प्रभावित कर सकते हैं जो अदालत में मौजूद नहीं हैं या प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। यदि वह नहीं है सावधान, न्यायाधीश गृहयुद्ध भड़का सकता है या वह क्रांति को गति दे सकता है। वह गलती से देश के राजनीतिक स्वरूप में शांतिपूर्ण लेकिन बुनियादी बदलाव ला सकता है।

* * * *

आज न्यायाधीशों को कष्टों के साथ-साथ उन परीक्षणों का भी सामना करना पड़ता है, जिनके बारे में उनके पूर्ववर्तियों ने विचार नहीं किया था। संसद ने यह प्रावधान करके काम के दबाव को मान्यता दी है कि इससे पहले कि लॉर्ड चांसलर सर्किट बेंच में नियुक्ति के लिए महारानी से किसी की सिफारिश करें, लॉर्ड चांसलर 'खुद को संतुष्ट करने के लिए कदम उठाएंगे कि व्यक्ति का स्वास्थ्य संतोषजनक है।'नौकरी के कारण लगने वाले मानसिक तनाव के संबंध में लॉर्ड रोस्किल की यादों के आलोक में यह आवश्यक प्रतीत होता है।लॉर्ड रोस्किल ने कहा कि, उनके अनुभव में, 'काम का बोझ असहनीय है: सप्ताह में सात दिन, दिन में 14 घंटे'

* * * *

वह [न्यायाधीश] वास्तविकता और भ्रम, लोकतंत्र और विशेषाधिकार के उस अजीब मिश्रण का प्रतीक है, विनम्रता और शालीनता, समझौतों का सूक्ष्म नेटवर्क, जिसके द्वारा राष्ट्र खुद को अपने परिचित आकार में रखता है।"

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के बर्गर सीजे ने एक बार कहा था: "स्वतंत्र लोगों के लिए आदेशित स्वतंत्रता के ताने-बाने को बनाए रखने के लिए न्यायालयों में विश्वास की भावना आवश्यक है और यह अधीनस्थ न्यायपालिका को अपनी कार्रवाई से और उच्च न्यायालय को अपने उचित नियंत्रण से करना है।" इसे सुनिश्चित करें"।

फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाले पक्षों द्वारा की गई दलीलों में से एक यह है कि संविधान फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की परिकल्पना नहीं करता है। यह दलील स्पष्ट रूप से बिना किसी तथ्य के है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य में इस न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने देखा । बनाम भारत संघ [(1993) 4 एससीसी 441], जिला न्यायाधीश के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास है, लेकिन वह तब तक नियुक्ति नहीं कर सकते जब तक कि उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के साथ प्रभावी और सार्थक परामर्श न हो। कोर्ट ने नियुक्ति की अनुशंसा कर दी है. मतभेद की स्थिति में परामर्श की आवश्यकता एक

खोखली औपचारिकता बनकर न रह जाए, इसके लिए दृष्टिकोणों का प्रभावी आदान-प्रदान होना चाहिए। अनुच्छेद 233(2) द्वारा शासित मामलों में, नियम के रूप में, उच्च न्यायालय की सिफारिश को स्वीकार किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय की राय से विचलन एक दुर्लभ घटना होनी चाहिए।संविधान एक निकाय के रूप में उच्च न्यायालय के सामूहिक ज्ञान पर निर्भर करता है, न कि किसी एक व्यक्ति के।यद्यपि फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना की परिकल्पना केंद्र सरकार द्वारा वित्त आयोग द्वारा बताए गए विचारों के आधार पर की गई है, फिर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियुक्तियां निर्धारित तौर-तरीकों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा की जानी हैं। इसलिए, केवल इसलिए कि सुझाव केंद्र सरकार की ओर से आया है; यह नहीं कहा जा सकता कि किसी संवैधानिक आदेश का उल्लंघन हुआ है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संविधान का अध्याय VI अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की भर्ती से संबंधित है, अनुच्छेद 234 जिला न्यायाधीशों के अलावा राज्य की न्यायिक सेवा के सदस्यों की भर्ती से संबंधित है। अनुच्छेद 234 के तहत नियुक्ति की शक्ति में न्यायिक अधिकारियों के अलावा अन्य न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति की पुष्टि करने की शक्ति शामिल नहीं है जो अनुच्छेद 234 द्वारा विशेष रूप से उच्च न्यायालय में निहित है। कोई भी नियम जो यह प्रदान करता है कि अधिकार राज्यपाल के परामर्श से है उच्च न्यायालय, शून्य होगा, जैसा कि असम राज्य और अन्य में इस

न्यायालय द्वारा देखा गया है। वी. एसएन सेन और अन्य।[1971 (2) एससीसी 889]। जबकि जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति अनुच्छेद 235 के अनुसार उच्च न्यायालय के परामर्श से कार्य करने वाले राज्यपाल के हाथों में होगी, जिला न्यायाधीशों के अलावा राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारियों की पोस्टिंग और पदोन्नति आदि विशेष रूप से उनके हाथों में है। उच्च न्यायालय के."नियंत्रण" शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 235 में किया गया है अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज के सामान्य अधीक्षण को शामिल करने के लिए व्यापक अर्थ में उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में, इस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण पूर्ण नियंत्रण है, जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति के मामले में केवल राज्यपाल की शक्ति के अधीन है। इस अनुच्छेद के तहत प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। इस पद से ऊपर होने के कारण योजना में संवैधानिक रूप से कुछ भी अनुचित नहीं है। यह उच्च न्यायालय है जिसे योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, निश्चित रूप से, संविधान के अध्याय VI के प्रासंगिक प्रावधानों में सन्निहित संवैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए, महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

जिन प्रशंसनीय उद्देश्यों के साथ फास्ट ट्रैक्ट कोर्ट योजना की कल्पना और शुरुआत की गई है, उसे ध्यान में रखते हुए, हमें लगता है कि

निम्नलिखित निर्देश, वर्तमान में, पार्टियों द्वारा उजागर की गई प्रारंभिक समस्याओं का ध्यान रखने के लिए पर्याप्त होंगे:

न्यायालय द्वारा निर्देश:

1. फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पहली प्राथमिकता योग्य न्यायिक अधिकारियों में से तदर्थ पदोन्नति दी जानी है। ऐसी पदोन्नति देते समय, उच्च न्यायालय उच्च/उच्च न्यायिक सेवाओं में ऐसे पदो पर पदोन्नति के मामले में लागू प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

2. फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियुक्तियों में दूसरी प्राथमिकता उन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को दी जाएगी जिनके पास अच्छे सेवा रिकॉर्ड हैं और उनके एसीआर में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, जहां तक न्यायिक कौशल, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और चरित्र के संबंध में प्रतिष्ठा का सवाल है। जिन लोगों को सेवानिवृत्ति की आयु में दो साल के विस्तार का लाभ नहीं दिया गया, उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे संविधान के अनुच्छेद 233(2) और 309 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। संबंधित उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए पात्रता की न्यूनतम-अधिकतम आयु के संबंध में निर्णय लेगा कि वे फास्ट ट्रैक कोर्ट में काम के लिए शारीरिक रूप से फिट हैं।

3. कोई भी न्यायिक अधिकारी जिसे बर्खास्त कर दिया गया हो या हटा दिया गया हो या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया हो या सेवानिवृत्ति की मांग की गई हो, उस पर योजना के तहत नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। जिन न्यायिक अधिकारियों ने विभागीय कार्यवाही/जांच शुरू होने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी है, उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. इन न्यायालयों में सीधी नियुक्ति के लिए बार के सदस्यों को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी। उनकी आयु अधिमानतः 35-45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ताकि यदि फास्ट ट्रैक अदालतें काम करना बंद कर दें तो वे नियमित पदों पर बने रहने की इच्छा रख सकें। सेवा में उनकी निरंतरता के प्रश्न की उनके प्रदर्शन के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। यदि बाद में भर्ती होती है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका प्रदर्शन संतोषजनक पाया जाता है, तो उन्हें नियमित रिक्तियों में समाहित किया जा सकता है। प्रारंभिक चयन के लिए, उच्च न्यायालय चयन के ऐसे तरीकों को अपनाएगा जैसा कि आम तौर पर सुपीरियर/उच्च न्यायिक सेवाओं में सीधी भर्ती के रूप में बार के सदस्यों के चयन के लिए अपनाया जाता है।

5. फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियुक्ति के लिए समग्र प्राथमिकता उन योग्य अधिकारियों को दी जाएगी जो सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं, बशर्ते कि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ हों।

6. चयन की सिफारिश इस संबंध में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित उच्च न्यायालय के कम से कम तीन न्यायाधीशों की एक समिति द्वारा की जाएगी। मामले में अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय की पूर्ण अदालत द्वारा लिया जाएगा।

7. फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्यायिक अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति के बाद, एक विशेष भर्ती अभियान आयोजित करके परिणामी रिक्तियों को तुरंत भरा जाएगा। न्यायिक अधिकारियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पदोन्नत करने से बहुत पहले इन रिक्तियों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि अधीनस्थ न्यायपालिका के निचले स्तरों पर रिक्तियां उत्पन्न न हों। उच्च न्यायालय और संबंधित राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों में परिणामी और मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए त्वरित कदम उठाएगी। संबंधित राज्य सरकार उच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिशों की प्राप्ति के एक महीने के भीतर आवश्यक निर्णय लेगी।8. फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा उन सत्र मामलों के निपटान को प्राथमिकता दी जाएगी जो सबसे लंबे समय से लंबित हैं,

और/या जिनमें विचाराधीन कैदी शामिल हैं। सिविल मामलों के लिए भी यही दृष्टिकोण होगा यानी पुराने मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

9. जबकि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के नियमित न्यायालय के कर्मचारियों में एक सत्र क्लर्क और एक कार्यालय चपरासी शामिल होता है, समान या समान कार्य करने वाले नियमित न्यायालयों की तुलना में फास्ट ट्रैक न्यायालयों में कर्मचारियों की कमी के कारण काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सूचना है। जब एकल अर्दली या क्लर्क छुट्टी पर चला जाता है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में काम रुक जाता है। ऐसे प्रत्येक न्यायालय के लिए निर्धारित कर्मचारी एक पेशकार/अधीक्षक, एक आशुलिपिक और एक अर्दली हैं। यदि कर्मचारी अपर्याप्त हैं, तो उच्च न्यायालय और राज्य सरकार अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए उचित निर्णय लेंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा मौजूदा आवंटन से बचत के भीतर समायोजित किया जा सकता है।

10. फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना के अंतर्गत लोक अभियोजक एवं प्रोसेस सर्वर की नियुक्ति का प्रावधान नहीं किया गया है। फास्ट ट्रैक अदालतों के प्रभावी कामकाज के लिए एक लोक अभियोजक आवश्यक है। इसलिए, ऐसे प्रत्येक न्यायालय के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है और इसका खर्च 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' मद के तहत आवंटन से वहन किया जाएगा। प्रक्रिया सेवा मौजूदा तंत्र के माध्यम से की जाएगी।

11. राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति भारत सरकार द्वारा पहले से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक राज्य में निर्धारित संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना और ऐसे न्यायालयों के सुचारू कामकाज की निगरानी करेगी।

12. राज्य सरकारें फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना के तहत आवंटित धन का तुरंत उपयोग करेंगी और ऐसे किसी भी धन को रोकेंगी या अन्य उपयोगों में नहीं लगाएंगी। वे समय-समय पर केंद्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजेंगे; जो आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर राज्य सरकारों को तत्काल धनराशि जारी करना सुनिश्चित करेगा।

13. फास्ट ट्रैक अदालतों द्वारा मामलों के निपटान की निगरानी करने और संबंधित राज्य सरकार के प्रशासनिक समर्थन और सहयोग से कठिनाइयों और कमियों, यदि कोई हो, को हल करने के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय में कम से कम एक प्रशासनिक न्यायाधीश को नामित किया जाएगा। राज्य सरकार प्रशासनिक न्यायाधीश को अपेक्षित सहयोग सुनिश्चित करेगी।

14. योजना के तहत तदर्थ आधार पर नियुक्ति के आधार पर किसी भी नियमित पदोन्नति का दावा करने के लिए सेवा में न्यायिक अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रदान की गई सेवा को मूल संवर्ग में प्रदान की गई सेवा के रूप में माना जाएगा।

यदि किसी न्यायिक अधिकारी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान मूल कैडर में उच्च ग्रेड में पदोन्नत किया जाता है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रदान की गई सेवा को ऐसे उच्च ग्रेड में सेवा माना जाएगा।

15. योजना के तहत नियुक्त सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन और भत्ते के बराबर वेतन और भत्ते के हकदार होंगे, जिसमें से नियमों के अनुसार ली गई/देय पेंशन की कुल राशि को घटा दिया जाएगा।

16. योजना के तहत नियुक्त व्यक्तियों को छुट्टी, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, टीए/डीए और आचरण नियमों और ऐसे अन्य सेवा लाभों के लिए, उन नियमों और विनियमों द्वारा शासित किया जाएगा जो न्यायिक सेवाओं के सदस्यों पर लागू होते हैं। समतुल्य स्थिति वाला राज्य.

17. संबंधित उच्च न्यायालय समय-समय पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के कामकाज की समीक्षा करेगा और किसी भी कमी और/या कमी के मामले में, नामित प्रशासनिक न्यायाधीश के विचारों को ध्यान में रखते हुए तत्काल उपचारात्मक उपाय करेगा।

18. उच्च न्यायालय और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जहां तक फास्ट ट्रैक कोर्ट का संबंध है, कोई रिक्ति नहीं है, और उस संबंध में आवश्यक कदम आज से तीन महीने के भीतर उठाए जाएंगे। दूसरे शब्दों

में, निर्धारित समय के भीतर सभी फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

कुछ पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कहा कि दागी छवि वाले अधिकारियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में नियुक्त किया गया है। यह देखना संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का काम है कि क्या ऊपर दिए गए हमारे निर्देशों में बताई गई आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाले किसी अवांछित व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, और नियुक्ति को समाप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

हमारे निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा फैसले की प्रतियां प्रत्येक उच्च न्यायालय और संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाएंगी।

हालाँकि इन याचिकाओं को बंद माना जाएगा, प्रत्येक उच्च न्यायालय और राज्य सरकार द्वारा त्रैमासिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। ऐसी पहली रिपोर्ट अगस्त, 2002 के अंत तक प्रस्तुत की जाएगी। रिपोर्टों को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा तय की जाने वाली पीठ के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा।

एस.के.एस. याचिका निरस्त की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी स्तुति राठी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।*